

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक निसंशि/लेखा -1 /2015/

दिनांक

1. प्राचार्य, आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय(समस्त) एसटीसी, महापुरा।
2. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी (समस्त)
3. समस्त संकुल प्रभारी/कार्यालयाध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान ।

विषय:- बजट के उपयोग बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त वर्ष 2015-16 के लिये आयोजना /आयोजना भिन्न मदों में संबंधित संस्थाओं को बजट आबंटन कर दिया गया है। आबंटित बजट के व्यय की समीक्षा के दौरान पाया गया है कि कुछ कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा व्यय नहीं किया जा रहा है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार आबंटित राशि को बकाया दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार व्यय किया जाना चाहिए। अतः समस्त कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों से आशा की जाती है कि वह वित्त विभाग के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। संस्थाओं द्वारा, आबंटित राशि में से व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में राशि को वित्त विभाग द्वारा वापिस लिया जा सकता है। बजट उपलब्ध होते हुए भी बकाया दायित्वों के भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में वित्त विभाग से अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकेगी।

वर्ष 2016-17 के आय व्ययक अनुमान एवं वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों के संबंध में आयोजना भिन्न संबंधी मीटिंग माह अक्टूबर 2015 में होना संभावित है। अतः समय रहते समस्त कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी सुनिश्चित कर लें कि संस्थाओं में बजट उपलब्ध होते हुए भी यदि दायित्व पेंडिंग रहते हैं (यथा यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय, पुस्तकालय, खेलकूद, वर्दी व्यय इत्यादि) तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

-Sd/-

(शिल्पी कौशिक)
मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा विभाग,
जयपुर राजस्थान

क्रमांक निसंशि/लेखा -1 /2015/

33107-33525

दिनांक

11/5/15

प्रतिलिपि श्री शंकर सोनी, पुस्तकालयाध्यक्ष निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(शिल्पी कौशिक)

मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा विभाग,
जयपुर राजस्थान